

“FORM 4-B

[see rule 26(4) and 27]

Affidavit to be filed by the candidate along with nomination paper and Form 4-A before the Returning Officer for election (Name of the Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad, Ward No....., Block, District

I, son/daughter/wife of Aged Years, resident of (mention full postal address), a candidate at the above election, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

- (1) I am a candidate setup by (Name of the political party)/am contesting as an Independent candidate.(strike out whichever is not applicable)
- (2) My name is enrolled in (Name of the Gram Panchayat/Panchayat Samiti/Zila Parishad), at Serial No..... in Ward No.....
- (3) My contact/telephone number(s) is/are and my e-mail id (if any) is
- (4) That I have not incurred any of the following disqualifications, as laid down under section 175 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994:-
 - (a) I have not been convicted and charges have not been framed against me in a criminal case for an offence punishable with imprisonment for not less than ten years.
 - (b) I have not failed to pay any arrears of any kind due to me to any Primary Agriculture Co-operative Society, District Central Co-operative Bank and District Primary Co-operative Agriculture Rural Development Bank. No dues certificate(s) from the said institution(s) is/are enclosed.
 - (c) I have not failed to pay arrears of electricity bills. No dues certificate from the concerned Power Utility is enclosed.
 - (d) I have passed matriculation examination or its equivalent examination from a recognized institution/board.

Or

I have passed the middle class.
(In case of a woman candidate or a candidate belonging to Scheduled Caste)

Or

I have passed the 5th class.
(In case of a women candidate belonging to Schedule Caste contesting election for the post of Panch). A true attested copy of certificate issued by the concerned Institution/Board is enclosed.

- (e) I have a functional toilet at the place of my residence.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent, above named, do hereby verify and declare that the contents of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

-
- Note : 1. Affidavit/Declaration should be filed latest by 3.00 PM on the last day of filing nominations.
 - Note: 2. In case of a candidate seeking to contest the elections of Member Panchayat Samiti and Zila Parishad, shall have to submit an affidavit sworn before the First Class Magistrate or a Notary Public or a Commissioner of Oath appointed by the High Court of before the sub-Divisional Officer (Civil)/Tehsildar/Naib Tehsildar (conferred with the powers of Executive Magistrate) having jurisdiction to the area.
 - Note: 3. In case of candidate seeking to contest the election of the seat of Panch and Sarpanch of Gram Panchayat, shall have to furnish the information on a plain paper.
 - Note: 4. All columns should be filled up and no column to be left blank. If there is no information to furnish in respect of any item, either “Nil” of “Not applicable”, as the case may be, should be mentioned.
 - Note: 5. The Affidavit/Declaration should be either typed or written legibly and neatly.

“प्ररूप 4-ख
[देखिए नियम 26(4) तथा 27]

.....(ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् का नाम, वार्ड संख्या.....
ब्लाक.....जिला.....) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उम्मीदवार द्वारा नामांकन
पत्र और प्ररूप 4-क सहित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....आयु.....वर्ष..... (पूरा डाक
पता वर्णित करें) का/की निवासी हूँ, उपरोक्त निर्वाचन से उम्मीदवार हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, और शपथ
पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- (1) मैं.....(राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार हूँ/स्वतंत्र उम्मीदवार के
रूप में लड़ रहा/रही हूँ।

(जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम.....(ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् का नाम), वार्ड संख्या.....में
कम संख्या.....पर है।
- (3) मेरा सम्पर्क/टेलीफोन नम्बर.....है/हैं और मेरा ई-मेल आई डी (यदि कोई हो).....है।
- (4) यह कि मैंने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 में यथा अधिकथित के अधीन
निम्न अयोग्यता प्राप्त नहीं की है:-
 - (क) मैं किसी ऐसे अपराधिक मामले जो दस वर्ष के कारावास से कम दण्डनीय नहीं है, में सिद्धदोष
नहीं किया गया हूँ और मेरे विरुद्ध आरोप भी नहीं लगाए हैं।
 - (ख) मैं किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक
सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के उसकी ओर किसी प्रकार के देय के किन्हीं बकायों का
भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ। कथित संख्या (संस्थाओं) से आदेय प्रमाण पत्र संलग्न है।
 - (ग) मैं बिजली बिलों के बकायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ, सम्बन्धित विद्युत उपयोग
का आदेय प्रमाण पत्र संलग्न है।
 - (घ) मैंने किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास की है।

या

मैंने मिडल कक्षा पास की है।

(किसी महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार की दशा में)

या

मैंने पांचवी कक्षा पास की है।

(पंच के पद के लिए निर्वाचन लड़ रही अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में)
सम्बद्ध संस्था/बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सही सत्यापित प्रति संलग्न है।

- (ड) मेरे निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, उपर नामित, अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की
विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और
इसमें से कोई तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है।

अभिसाक्षी

-
- टिप्पण 1:- शपथ पत्र/घोषणा, नामांकन भरने के अंतिम दिन को 3 बजे से पहले तक फाईल किया जाना चाहिए।
- टिप्पण 2 :- पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सदस्य के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के मामले में, जो प्रथम श्रेणी
मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त अथवा क्षेत्र की
अधिकारिता रखने वाले उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) /तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिसे कार्यकारी
मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हो) के सम्मुख शपथ-पत्र पर प्रस्तुत की जाएगी।
- टिप्पण 3:- ग्राम पंचायत के पंच तथा संरपच के पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के मामले में, उस द्वारा
सूचना सादे कागज पर तैयार करके देनी होगी।
- टिप्पण 4:- सभी कालम भरे जाने चाहिए और कोई कालम खाली न छोड़े। यदि किसी मद के संबंध में कोई
जानकारी नहीं है तो “शून्य” या “लागू नहीं होता” जैसी भी स्थिति हो, उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण 5:- शपथ पत्र/घोषणा या तो टंकित या सुपाठ्य तथा साफ-साफ लिखी होनी चाहिए”।